भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 516

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

516. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नवनिर्मित एवं उन्नयन किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण की योजना चला ही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भीलवाड़ा सहित राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोपित किए गए वृक्षों की संख्या और प्रजातियों का वर्ष-वार और प्रजाति-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की चार लेन वाली सड़कों को छह लेन वाली सड़कों में परिवर्तित करते समय वृक्षारोपण करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हां। सरकार हरित राजमार्ग नीति-2015 के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रही है। हरित राजमार्ग नीति-2015 की घोषणा के बाद से प्रत्येक वर्ष वार्षिक वृक्षारोपण कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) 2015 से अब तक 31 दिसंबर 2024 तक देशभर में राजमार्गों के किनारे 472.26 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। राजमार्गों को हरा-भरा बनाने की वर्षवार उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

वर्ष	**कुल वृक्षारोपण प्रगति (2015-16 से 2024-25, 31 दिसंबर 2024 तक) (पेड़दार मार्ग और मध्य भाग में पौधों की संख्या और वृक्षारोपण लाख में)**
2015-16 से 2017-18	**76.27**
2018-19	**31.27**
2019-20	**36.28**
2020-21	**59.11**
2021-22	**72.35**

2022-23	**71.91**
2023-24	**58.64**
2024-25	**66.43**
कुल	**472.26**

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भीलवाड़ा सहित राजस्थान में वृक्षारोपण का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	**कुल वृक्षारोपण (पेड़दार मार्ग और मध्य भाग) (पौधों की संख्या लाख में)**
2024-25 (31.12.2024 तक)	4.19
2023-24	8.10
2022-23	12.46
कुल	**24.75**

रोपित पौधो का चयन आईआरसी:एसपी:21-2009 "भूनिर्माण और वृक्षारोपण पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित अनुसार किया गया है। राजस्थान में नीम, पलास, अमलताश, शीशम, पीपल, बरगद, पाकुर, बकैन, इमली आदि प्रजातियों को रोपण के लिए लिया गया है।

(घ) हरित राजमार्ग नीति 2015, सभी राजमार्गों को कवर करती है, चाहे उनमें लेन की संख्या कितनी भी हो, बशर्ते कि मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) में उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध हो।

*****